केवल नकल की फीस के लिए

क्रमांक :- 2798

3
7-00

आवश्यक स्टाम सहित पहचान पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy acompained by the re ....stamp	नोटिस बोर्ड का नकल तैयार होने की सूचना तारीख Date of postingnoticcon notice board	नकल वापिस किये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर signature of official delivering copy
62 2/2/18	5-2-18	5-2-18	5/2/18

तहसील बार एसोसिएशन सदर-मऊ

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मऊ
T2018 1551010 0624 धारा 80(1) उ०प्र०
श्री साईं जन सेवा न्यास मौजा सिकठिया परगना घोसी
vs
दीनानाथ ... तहसील सदर मऊ
नकल आदेश दिनांक 27-1-18 की सत्यापित छाया प्रति फोटोस्टेट

नोटः- तहसील बार एसोसिएशन सदर मऊ द्वारा प्रकाशित सन् 2017-18

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर–मऊ।

श्री सांई जन सेवा न्यास
वनाम
दीनानाथ आदि

वाद स0 टी 201815510100624 अ0 धारा 80 उ0प्र0रा0सं0
मौजा–सिकठिया, परगना–घोसी,
तहसील–मऊनाथ भंजन, जनपद–मऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री सांई जन सेवा न्याय शहरोज मऊ बजरिये प्रबंधक अखिलेश कुमार राय पुत्र प्रकाशचन्द राय निवासी शहरोज तहसील सदर–मऊ द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा 80 के तहत् इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि मौजा सिकठिया की आराजी संख्या 150/4.061 हे0 के सह संक्रमणीय भूमिधर व काबिज दखिल है उक्त आराजी में रकबा 0.355 हे0 में मौके पर श्री सांई जन सेवा न्याय विद्यालय भवन निर्माणाधीन है तथा अकृषिक उपयोग में लाई जा रही है उक्त आराजी में कृषि कार्य नही होता है तथा निवेदन किया गया कि उक्त आराजी को अकृषिक भूमि घोषित किया जाय।

वाद दर्ज कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया जो वाद तामिला संलग्न पत्रावली है। पत्रावली में कोई आपत्ति दाखिल नही है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 20.01.18/21.01.18/24.01.18 में यह उल्लेख किया गया है कि मौजा सिकठिया की आराजी नम्बर 150/4.061 हे0 में से 0.355 हे0 में आबादी के रूप में है तथा विद्यालय भवन निर्माणाधीन है, उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार सदर ने अपनी आख्या के अन्त में अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किये जाने की संस्तुति किया है। प्रश्नगत् प्रकरण में उप निबंधक सदर से मूल्यांकन आख्या प्राप्त की गयी। उप निबंधक सदर द्वारा आख्या दिनांक 24.01.18 में उल्लेख किया गया कि मौजा सिकठिया की आराजी संख्या 150मि0/0.355 हे0 भूमि की प्रकृति कृषि भूमि (सड़क/रास्ता पर स्थित भूमि) होने की स्थिति में वर्तमान मूल्यांकन सूची के प्रारूप–4 (क–2) के पृष्ठ–71 कालम–6 के अनुसार दर रूपये 34000 प्रति एयर से मुल्यांकन 12070000.00 रूपये होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में दिये गये प्रावधानों के तहत् वादी द्वारा मालियत का एक प्रतिशत मु0 120700.00 रूपये चालान संख्या 29 दिनांक 25 जनवरी 2018 द्वारा राजकीय कोष में जमा किया गया। ऐसी दशा में प्रश्नगत् भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 20.01.18/21.01.18/24.01.18 के आलोक में मौजा सिकठिया की आराजी संख्या 150/4.061 में से 0.355 हे0 भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। खतौनी में आदेश का क्रियान्वयन अंकित किया जाय। आदेश अगली खतौनी में अंकित होता रहे जब तक कि न्यायालय से अन्यथा आदेश नही हो जाता है। आदेश की प्रति उप निबंधक सदर–मऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांकः– 27-1-18

(कुमार हर्ष)
उप जिलाधिकारी,
सदर–मऊ।

62
7-00
2-2-18
5-2-18
5-2-18

सत्य-प्रतिलिपि
5-2-18

कोषागार प्रपत्र सं०-209 (A) (संशोधित)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

7/836341

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

(कर्ज एवं अग्रिम की अदायगी प्रपत्र संख्या-43ए (2) द्वारा जमा की जायेगी)

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा .... स्टेट बैंक - मऊ

1 जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम एवं पता .... श्री साईं जन सेवा ट्रस्ट

2 पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) .... अखिलेश कुमार राय प्र० प्रबन्धक

3 जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) .... [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] m [illegible] ८० (७)

4 जमा की जा रही धनराशि .... [illegible] 150100.00

5 लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/मुहर .... अखिलेश कुमार राय

प्रबन्धक

श्री साईं जनसेवा न्यास

लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड ....

मुख्य लेखाशीर्षक	उपमुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि अंकों में
0030	10	102	01	00	120700/=

धनराशि (शब्दों में) एक लाख बीस हजार सात सौ रु मात्र ....

योग

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता के नाम व हस्ताक्षर
अखिलेश कुमार राय

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या .... Rs 120700

अंकों में रु0

दिनांक .... 25 JAN 2013

शब्दों में रु0

प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उपकोषागार/बैंक की मुहर

SHIVA NAND JAISWAL - 2513716